सिफारिशों का सार

प्रशासन और शास्ति लगाने के संदर्भ में

1. शास्ति कार्यवाही को शुरू करने, उसके उद्ग्रहण और आदेश की पूरी प्रक्रिया विधिवत दर्ज की जानी चाहिए जिससे कार्यवाही में प्रक्रियात्मक कमियां न हों।
2. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आय के छिपाव को अधिनियम के अनुसार दंडित किया जा रहा है।
3. मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर मांग समय पर संग्रहित की जाती है और चूकों पर शास्ति लगाई जाती है एक उचित तंत्र बनाना चाहिए।
4. मंत्रालय को आयकर विभाग के अन्दर विभिन्न विंगों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि राजस्व प्रयासों में एकरूपता हो।
5. मंत्रालय को निर्धारित सीमा से ऊपर ऋण और जमा से संबंधित रोकड़ लेन-देन के लिए उचित शास्तियां सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए।

अभियोजन के प्रशासन के संदर्भ में

6. मंत्रालय को अभियोजन के मामलों की पहचान करने के लिए एक मजबूत तंत्र का गठन सुनिश्चित करना चाहिए जोकि समयबद्धता, कर अपवंचन की मात्रा और समकालीन प्रभाव को ध्यान में रखे।
7. सीबीडीटी को क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र प्रभार के साथ अभियोजन संभालने के लिए एक पदनामित और अनुभवी नोडल अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। सीबीडीटी को अधिकारियों के बीच आवधिक वार्ता (त्रैमासिक की भांति) सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे किसी एक समय पर एक मामले का पता चल सके।
8. सीबीडीटी को विभिन्न स्तरों पर अभियोजन के वास्तविक लम्बन और स्थिति का पता लगाने के लिए रिकार्डों का रखरखाव सुनिश्चित करना

चाहिए। सीबीडीटी को सभी स्तरों पर अद्यतन अभियोजन रिकार्डों का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

9. सीबीडीटी को अभियोजन से संबंधित फाइलों का आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।

10. मंत्रालय को न्यायिक अधिकारियों के समक्ष आयकर विभाग के प्रतिनिधि विभागीय वकीलों की नियुक्ति और मूल्यांकन के तंत्र को कारगर बनाने की आवश्यकता है। पारिश्रमिक दरों को भी संबंधित कार्यों के अनुसार दोबारा देखने की आवश्यकता है जिससे अनुभवी अधिवक्ताओं का लाभ उठाया जा सके और उन्हें बनाए रखा जा सके।

11. मंत्रालय को न्यायिक तंत्र के साथ नियमित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए।

12. सीबीडीटी को विभिन्न न्यायालयों में सभी मामलों के लम्बन की स्थिति की पहचान के लिए एक समय एक बार कार्य करना चाहिए और समाधान के लिए इसका सक्रिय रूप से अनुसरण करना चाहिए।

13. सीबीडीटी को अभियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले समझौते वाले अपराधों पर विचार करना चाहिए जिससे राजस्व एकत्रित हो।

14. सीबीडीटी को उच्च प्रभाव वाले मामलों के लिए अभियोजन तंत्र लगाना चाहिए और कम प्रभाव वाले मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने से बचना चाहिए।